न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/11/2017

उनवान

1. खेमा आत्मज चेना गुर्जर निवासी आटावाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 116/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.7.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री दीपक शर्मा श्री मनीष कांटिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 19, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आटावाडा पटवार हल्का चावण्डिया/उम्मेदपुरा तहसील सहाडा स्थित हाल आराजी नम्बर 16 रकबा 0.42 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 181रकबा 0.24 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 182 रकबा0.16 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं उक्त आराजी के पास ही वादी की खातेदारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकार की आराजी नम्बर 9/677 रकबा 0.43 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अपनी खातेदारी की आराजी के पास स्थित हाल आराजी नम्बर 16, 181, 182, पर विगत 30 वर्षो से वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। जिससे वादी का कब्जा मुखालफाना हो गया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 16, 181, 182 को आवंटन योग्य मानकर उद्घोषणा जारी की थी। जिस पर वादी ने वादग्रस्त भूमि का वादी के पक्ष मे आवंटन किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत किया । जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की ई। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का विगत 30 वर्षो से मुखालफाना कब्जा चला आ रहा है । वादी का मुख्य व्यवसाय काश्त है । वादी समय–समय पर पैनल्टी भी जमा कराता आ रहा है। वर्ष 2010 में प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल करने हेतु नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दिया । प्रतिवादी वादी को कभी भी बेदखल कर सकते हैं। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल नहीं करें साथ ही यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने साथ यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मानने का निवेदन किया एवं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प कोर्ट चावण्डिया का हाल गंगापुर की कोई सूचना नहीं दी गई थी। अपीलार्थी/वादी को इस बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किये गये व अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की यथासमय जानकारी नहीं दी । जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया । उक्त निर्ण्य की सर्वप्रथम जानकारी अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर दिनांक 15.12.2016 को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिये जाने पर हुई। तब जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। इसलिए अपील प्रस्तुंत करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम आटावाडा पटवार हल्का चावण्डिया/उम्मेदपुरा तहसील सहाडा स्थित हाल आराजी नम्बर 16 रकबा 0.42 हेक्टेरय, आराजी नम्बर 181 रकबा 0.24 हेक्टेयर,आराजी नम्बर 182 रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर अपीलार्थी का पिछले 40–50 वर्षो से निरन्त निर्बाध रूप से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि पर लाखों रूपये खर्च कर भूमि को काबिलकाश्त बनाया है। अपीलार्थी मुखालफाना कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी काफी वृद्ध होकर गरीब कृषक है। जिसके जीवनयापन का मुख्य आधार कृषि भूमि ही है। उक्त भूमि से ही अपीलार्थी अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। अपीलार्थी के पास पुश्तैनी भूमि कम होने से अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर जीवनयापन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करता है। विवादित आराजी को कृषि योग्य मानकर प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 में उद्घोषणा जारी की थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने भी नियमन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । उसके बावजूद वादग्रस्त आराजियात का अपीलार्थी को आवंटन नहीं किया गया । अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया । जिसमें वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया । इसके विपरीत प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी/वादी के कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलार्थी/वादी ने अपने वाद को पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित कराया है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज किया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्मित तनकी नम्बर 1 व 2 को अपने पक्ष में साक्ष्य, दस्तावेज से पूर्णतया साबित कराया। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी/वादी का कब्जा चला आ रहा है। इस हेतु प्रतिवादी/प्रत्यर्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का भी निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा अपने वाद को साबित कराने के उपरान्त भी वाद पत्र खारिज कर दिया ।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प कोर्ट चावण्डिया का हाल गंगापुर की कोई सूचना नहीं दी गई थी। अपीलार्थी/वादी को इस बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किये गये व अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की यथासमय जानकारी नहीं दी । जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया । नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना के तहत पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का निस्तारण करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। वह विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

9. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम आटावाडा पटवार हल्का चावण्डिया / उम्मेदपुरा तहसील सहाडा स्थित हाल आराजी नम्बर 16 रकबा 0.42 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 181रकबा 0. 24 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 182 रकबा0.16 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं उक्त आराजियात पर अपीलार्थी का पिछले 40–50 वर्षो से मुखालफाना (एडवर्स पजेशन) चला आ रहा है। इसलिए अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजियात का आवंटन किया जावे । अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा होने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अपीलार्थी को दिये गये नोटिस की प्रतियॉ, खसरा गिरदावरी की नकल, आदि प्रस्तुत की है। जिससे वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट का कब्जा होना प्रमाणित होता है। परन्तु मुखालफाना (एडवर्स पजेशन) के आधार पर बिलानाम भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करने का अपीलार्थी किसी भी नियम में अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर नाजायज कब्जा है एवं नाजायज कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। राजस्व मण्डल द्वारा भी समय समय पर इस संबंध में सिध्दांत पारित किये गये है। जब अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं तो प्रत्यर्थी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना भी न्यायसंगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

11. अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.7.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावें।

12. निर्णय आज दिनांक 23.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

23/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/11/2017

उनवान

1. खेमा आत्मज चेना गुर्जर निवासी आटावाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 116/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.7.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/11/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 23.8.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री दीपक शर्मा वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 23.8.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.7.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 23.8.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

23/8/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस